प्रेस विज्ञप्ति
20.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स टीएम ट्रेडर्स एंड मेसर्स केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल) के मामले में मुंबई, बैंगलोर, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियानों के दौरान, अमेरिकी डॉलर, सिंगापुर डॉलर, दिरहम आदि के रूप में विदेशी मुद्राएँ लगभग रु. 6,42,973/-, सोने का सर्राफा जिसकी कीमत रु. 55,74,667/-, रुपये की बैंक शेष राशि रु. 94 लाख (लगभग), संपत्ति के दस्तावेज, कई डिजिटल उपकरण और विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त/फ्रीज कर लिया गया।

ईडी ने मैसर्स टीएम ट्रेडर्स, मैसर्स केके ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफएक्स और अन्य के खिलाफ भादस, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स की वेबसाइट न तो आर. बी. आई. के साथ पंजीकृत है और न ही विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आर. बी. आई. से कोई प्राधिकरण है। आर. बी. आई. ने एक चेतावनी सूची भी जारी की है जिसमें टीपी ग्लोबल एफएक्स का नाम दिनांकित 07.09.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शामिल है, जिसे आम जनता को अनधिकृत व्यापार मंचों के खिलाफ सावधान करने के लिए प्रकाशित किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास और तुषार पटेल जैसे व्यक्तियों द्वारा टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करने वाली एक धोखाधड़ी योजना में निवेशकों को लुभाने के लिए कई नकली कंपनियों का उपयोग करके बड़े सफाई से धोखाधड़ी की गई थी। इसके अतिरिक्त, आईएक्स ग्लोबल के निदेशकों और प्रोमोटरों, अर्थात् विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज ने सक्रिय रूप से टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा दलालों के रूप में बढ़ावा दिया। आईएक्स ग्लोबल के सदस्यों और उपयोगकर्ताओं ने अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स ब्रोकरेज सेवाओं को नियोजित किया।

आगे की जाँच के दौरान, यह पता चला है कि टीपी ग्लोबल एफएक्स /आईएक्स ग्लोबल के मंच पर विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर निवेश किए गए धन पर उच्च लाभ की आड़ में आम जनता को लुभाने के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स /आईएक्स ग्लोबल/आईएक्स अकादमी प्राइवेट/आईएक्स ग्लोबल के विभिन्न प्रभावकों/प्रोमोटरों -विराज सुहास पाटिल, तुषार पटेल, जोसेफ मार्टिनेज आदि के खिलाफ देश भर में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था और 270 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त/फ्रीज/कुर्क की थी, जिसमें नकदी, सोना, अचल संपत्ति, आतिथ्य प्रतिष्ठान, कार्यालय स्थान, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक बैलेंस शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दो अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं, माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।